उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 153 / 2023–24 दिनांक : 27.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री तुलसी राम वास्ते श्री प्रेम शंकर, परिवादी
सुभाष कालोनी, वार्ड नं0 29, गल्ला मण्डी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री तुलसी राम की ओर से श्री प्रेम शंकर का एक शिकायती पत्र दिनांक 12.09.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1A135153432 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत पहले लगभग रू0 4000.00 तक का आता था लेकिन जब से नया विद्युत मीटर लगा है तब से विद्युत बिल रू0 7000.00 व उससे भी अधिक आने लगा है। जबकि उनके घर में 04 पंखे, 01 फ्रिज, 01 पानी की मोटर लगी है जो शुरूआत से चल रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रू0 17248.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 12.09.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.09.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.09.2023 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री मनोज जोशी, कार्यालय सहायक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–1777 दिनांक 27.09.2023 के

क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का विद्युत मापक माह 06 / 2023 में खराब होने के कारण बदला गया था तदोपरान्त माह 07 / 2023 से परिवादिनी के द्वारा उपभोग की गयी रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादिनी को माह 11 / 2022 तक के बिल पिछले औसत उपभोग के आधार पर ही निर्गत किए गये हैं। परिवादिनी द्वारा माह 11 / 2022 तक ही अपने बिलों का भुगतान किया गया है। परिवादिनी के विद्युत बिल विभागीय नियमानुसार बनाए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इ समंच ने पाया कि कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 17.06.2023 को परिवादिनी का खराब मीटर बदल दिया गया था, जिसके उपरांत संयोजन पर स्थापित मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल निर्गत किए गए हैं। इससे पूर्व आरडीएफ अवधि के बिल विभागीय नियमानुसार पिछले औसत खपत के आधार पर निर्गत किए गए हैं, जोकि सही हैं। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

	27/09/23	27/9/2023
(रमेश चन्द्र कुकरेती) न्यायिक सदस्य	(नवीन चन्द्र तिवारी) तकनीकी सदस्य	(सुभाष चन्द्र भट्ट) उपभोक्ता सदस्य